

1	2	3	4	5
9	श्री नकुल प्रसाद यादव सिंचाई प्रमण्डल, दुमका / जे 8495 / गोडडा / 31.01.60	4.05.88	11.05.2000	
10	श्री अवधेश कुमार लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी / जे 8515 / पू० चम्पारण / 27.06.60	27.04.88	27.04.2000	
11	श्री भूतनाथ रजक गुण नियंत्रण प्र० मेदिनीनगर / जे 9030 / साहेबगंज / 05.01.65	09.08.89	09.08.01	
12	श्री शशिभूषण सिंह (से.नि.) ग्रा० वि० वि० प्रमण्डल, सरायकेला / जे 5002 / भोजपुर / 27.01.55	06.02.79	09.08.99	06.02.03
13	श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा (से.नि.) लघु सिंचाई प्र० लातेहार / जे 6252 / पलामू / 24.08.1953	31.01.79	09.08.99	31.01.03
14	श्री कामेश्वर प्रसाद लघु सिंचाई प्र० लातेहार / जे 8705 / नालंदा / 01.01.1963	19.05.88	19.05.2000	
15	श्री अंजनी कुमार (से.नि.) यांत्रिक प्र० ईचा-चलियाना / जे एम 544 / मुजफ्फरपुर / 03.04.52	07.02.79	09.08.99	07.02.03
16	श्री विनोद कुमार सिंह लघु सिंचाई प्र० लातेहार / जे 7750 / मुंगेर / 02.12.1959	20.01.87	09.08.99	
17	श्री रजनीकांत श्रीवास्तव ग्रा० वि० वि० प्र० कोडरमा / जे 8949 ए / भोजपुर / 03.02.59	20.12.88	20.12.2000	
18	श्री कृष्ण कुमार केशरी सुवर्णरेखा नहर प्र० जमशेदपुर / जे 8644 / औरंगाबाद / 01.11.61	19.04.88	19.04.2000	
19	श्री उदय नारायण प्रसाद यादव / सिंचाई प्रमण्डल सिकटिया, देवघर / बेगुसराय / जे०- 8622 / 18.01.1957	29.04.88	29.04.2000	
20	श्री रामशंकर प्रसाद सिंह (से.नि.) झारखंड पुलिस हाउसिंग काम्पपोरेशन लि० राँची / समस्तीपुर / जे०- 7225 / 25.01.1954	23.03.79	09.08.99	23.03.03

1	2	3	4	5
21	श्री जयकान्त सिंह ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, पलामू/ गोड्डा/ जे 5882/ 01.08.57	05.02.79	09.08.99	05.02.03
22	श्री परशुराम प्रसाद सत्यवादी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पाकुड / पटना/ जे 8998/ 01.01.68	09.08.89	09.08.01	—
23	श्री जयईन्द्र चौरसिया (से.नि.)/नहर एव नहर संरचना अंचल राँची/ जे 4763/आरंगाबाद/03.01.54	08.02.79	09.08.99	08.02.03
24	स्व. अली हुसैन अंसारी खरकई बौध प्रमंडल सं.-02, ईचा चालियामा/ दरभंगा/ 01.07.50	06.02.79	09.08.99	—
25	श्री सतीश चन्द्र सिंह (से.नि.) रू.अ./मुख्य अभियंता, देवघर/ जे 5078/ मुंगेर/ 02.06.53	07.02.79	09.08.99	07.02.03

- (ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ 15.11.2000 से देय होगा।
- (ग) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/ संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
- (घ) प्रस्ताव में अभियंता प्रमुख-01, जल संसाधन विभाग, का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

2496

राँची, दिनांक :-

23.7.15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ अवर सचिव(मुख्यालय)/ उप सचिव(मुख्यालय)/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित सभी कनीय अभियंता/ प्रशाखा-02, 03 एवं 08/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव